

(15) सभी सरकारी एवं निजी व्यवसाय संगठनों को गामाणिक रूप में और काम में चल रहे हैं। व्यापारियों के पक्ष में सामग्री आपूर्ति करनी चाहिए।

(16) कर्मियों की सुरक्षा राज्य की एक मात्र दायित्वा होगा चाहिए। जातिवादी संघर्ष से पूर्णतः क्षेत्रों की पहचान कर वहाँ सशस्त्र कलह तयनात कीए जाए। जल्द रक्षा के माफे नजर रखते हुए कर्मियों को हथियारों के लैसेस प्रदान किए जाए। इतना ही नहीं कर्मित महिलाओं को हथियार चलाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।

(17) हाथ से मेल साफ करने जैना आ। तत्काल तत्काल समाप्त कर कई आई। इस पर पेशी में शामिल कर्मियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम और रोजगार उपलब्ध कराए जाए।

(18) कॉर्पोरेट और उद्योग सहित सभी निजी प्रतिष्ठानों में कर्मियों की कुशलता और क्षमता बढ़ाने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाए।

(19) संसद एवं राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति। अयोग और सफाई कर्मचारियों से जुड़ी वार्षिक रिपोर्ट पर सलना बहस कराई जाए और बल बहस के नमि नतीजों पर तुरन्त तुरन्त कारवाई की जाए। इस सम्बन्ध में वार्षिक

संवर्ण वर्तमान रिपोर्ट को जनता के सामने सार्वजनिक किया जाए।

(20) न्यायपालिका संवर्ण खा के क्षेत्र में कर्मियों के लिए तय आरक्षण नीति का पालन हो। न्यायपालिका में नामकनु प्रणाली खत्म करके नियुक्ति प्रक्रिया को प्रादर्शी बनाए जाए।

(21) संसद संवराज्य विधान सभाओं को पिछले 25 वर्षों के दौरान आरक्षण की वास्तविक स्थिति संम्बन्धि वार्षिक रिपोर्ट चर्चा के लिए उपलब्ध कराई जाए। कर्मियों के खाती पड़े आरक्षित पदों को तत्काल भर दिया जाए। और उन पदों पर सिर्फ कर्मित इमिडवार उमीदवार को ही नियुक्ति किया जाए। Stop

\* कर्मियों की समस्याएँ \*

→ (1) आर्थिक समस्याएँ :- इसमें संदेह नहीं है, कि आर्थिक किसी भी समूह के सुख संवर्ण प्रगति का सबसे प्रमुख कारण है। और इसी लिए कहा जाता है, कि राजनितिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना एक केवल एक कल्पना मात्रा है। इसे संम्बन्ध में कर्मियों की समस्या सबसे जमीर है।